# FIRST INFORMATION REPORT

## (Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

**(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)**

**1. District (ज़िला):** दुर्ग **P.S.(थाना):** सुपेला **Year(वर्ष):** 2026

**FIR No(प्र.सू.रि.** 0638 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 08/05/2026 21:25 बजे

**2.**

| S.No. (क्र.सं.) | Acts(अधिनियम ) | Sections(धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | भा दं सं 1860 | 406 |
| 2 | भा दं सं 1860 | 420 |
| 3 | भा दं सं 1860 | 468 |
| 4 | भा दं सं 1860 | 471 |

**3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From(दिनांक से):** 13/03/2023 **Date To(दिनांक तक):** 13/03/2023

   **Time Period (समय अवधि):** पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

**(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई ):** **Date (दिनांक):** 08/05/2026 **Time (समय):** 21:25 बजे

**(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Time (समय):** 08/05/2026 21:25:00 बजे

**4. Type of Information(सूचना का प्रकार):** लिखित

**5. Place of Occurrence (घटनास्थल**

1. **(a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** उत्तर, 03 किमी **Beat No (बीट सं.)**

   **(b) Address (पता):** ग्राम कोहका पटवारी हल्का नं 14/19, थाना सुपेला जिला दुर्ग

   **(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (ज़िला(राज्य)):**

**6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता ):**

**(a) Name(नाम):** सुनील कुमार सोमन उम्र 47 साल

**(b) Father's Name (पिता का** श्री केशवान सोमन

**(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष):** 1979 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

**(e) UID No (यूआईडी सं.):**

**(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की तिथि ):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

**(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN )**

| **S.No. (क्र.सं.)** | **Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)** | **Id Number(पहचान संख्या)** |
|---|---|---|

**(h) Occupation (व्यवसाय):**

**(i) Address(पता):**

| **S.No. (क्र.सं.)** | **Address Type (पता का प्रकार)** | **Address (पता)** |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | मकान नंबर 1/836 हुडको भिलाई, की ओर से निरीक्षक विजय यादव, थाना प्रभारी थाना सुपेला दुर्ग, सुपेला, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत |
| 2 | स्थायी पता | मकान नंबर 1/836 हुडको भिलाई, की ओर से निरीक्षक विजय यादव, थाना प्रभारी थाना सुपेला दुर्ग, सुपेला, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत |

**(j) Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9752500401

**7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन ):**

**Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):**

| **S.No. (क्र.सं.)** | **Name (नाम)** | **Alias(उपनाम)** | **Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)** | **Address (पता)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संगीता केतन शाह | | पति:केतन शाह | 1. डायरेक्टर सिम्पलेक्स कास्टिंग, लिमिटेड निवासी A-5सूर्या विहार, कालोनी जुनवानी भिलाई दुर्ग, सुपेला,दुर्ग, छत्तीसगढ़,भारत | 1. डायरेक्टर सिम्पलेक्स कास्टिंग,लिमिटेड निवासी A-5सूर्या विहार,कालोनी जुनवानी भिलाई दुर्ग,सुपेला,दुर्ग, छत्तीसगढ़,भारत |
| 2 | केतन शाह | | | 1. A-5 सूर्या विहार,कालोनी | 1. A-5 सूर्या विहार,कालोनी |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | जुनवानी,सुपेला, दुर्ग,छत्तीसगढ़,भारत | जुनवानी,सुपेला,दुर्ग, छत्तीसगढ़,भारत |

**8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

माननीय न्यायालय के आदेश पर

**9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
**(संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (संपत्ति श्रेणी) | Type of Property (सम्पत्ती के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|

**10. Total value of property stolen (In Rs/-)**
**(चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में) ):**

**11. Inquest Report / U.D. case No., if any**
**(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू°डी°प्रकरण न°, यदि कोई हो ):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या) |
|---|---|

**12.First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

मै थाना सुपेला मे निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं। कि माननीय न्यायालय श्री (रवि कुमार महोबिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा आवेदक सुनील कुमार सोमन की ओर से प्रस्तुत आवेदन को आरक्षक संतोष निर्मलकर के द्वारा थाना लाकर पेश करने पर अवलोकन पर पाया कि धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का निराकरण किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदन एवं तर्क में यह कथन किया गया कि अभियुक्ता संगीता शाह (डायरेक्टर, सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड)एवं उसके पति केतन शाह ने ग्राम कोहका स्थित भूमि को निर्विवाद व भारमुक्त बताकर ₹50,00,000/- में विक्रय का सौदा किया तथा दिनांक 13.03.2023 को इकरारनामा निष्पादित कर ₹10,00,000/- अग्रिम राशि प्राप्त की। बाद में विक्रय विलेख निष्पादन से इंकार किया गया। प्रार्थी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि पूर्व से ही किराये/लीज पर दी गई थी एवं विवादित थी, जिसे छिपाकर धोखाधड़ी की गई। साथ ही, उसी भूमि के मूल दस्तावेज लेकर अभियुक्तों द्वारा वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर लिया गया । प्रार्थी द्वारा विभिन्न नोटिस एवं प्रयासों के बावजूद इकरारनामा का पालन नहीं किया गया। उक्त कृत्य को छल, कपट, धोखाधड़ी एवं न्यासभंग बताते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कराने की प्रार्थना की गई है। माननीय न्यायालय के आदेश पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया जाता है। नकल जैल है। (रवि कुमार महोबिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) Order Sheet (Contd.) सुनील कुमार सोमन वि सगीता केतन Case No F/12495/2026 / Date Of Order or Procceding, Order or Procceding with Signature of Presiding Officer, Signature of Parties or Pleaders where necessary.परिवादी द्वारा श्री अभिषेक वैष्णव अधिवक्ता उपस्थित।प्रस्तुत आवेदन के परिपेक्ष्य में परिवादी अधिवक्ता को सुना गया।इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का निराकरण किया जा रहा है।प्रार्थी द्वारा आवेदन एवं तर्क में यह कथन किया गया कि अभियुक्ता संगीता शाह (डायरेक्टर, सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड) एवं उसके पति केतन शाह ने ग्राम कोहका स्थित भूमि को निर्विवाद व भारमुक्त बताकर ₹50,00,000/- में विक्रय का सौदा किया तथा दिनांक 13.03.2023 को इकरारनामा निष्पादित कर ₹10,00,000 /- अग्रिम राशि प्राप्त की। बाद में विक्रय विलेख निष्पादन से इंकार किया गया। प्रार्थी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि पूर्व से ही किराये/लीज पर दी गई थी एवं विवादित थी, जिसे छिपाकर धोखाधड़ी की गई। साथ ही, उसी भूमि के मूल दस्तावेज लेकर

अभियुक्तों द्वारा वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा विभिन्न नोटिस एवं प्रयासों के बावजूद इकरारनामा का पालन नहीं किया गया। उक्त कृत्य को छल, कपट, धोखाधड़ी एवं न्यासभंग बताते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 120 बी, 406, 416, 420, 467, 468, 471, 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कराने की प्रार्थना की गई है। आवेदन के परिपेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या दर्शित है कि प्रस्तावित अभियुक्ता श्रीमती संगीता केतन शाह (डायरेक्टर, सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड) के द्वारा मौजा ग्राम कोहका, पटवारी हल्का नं. 14/19 रा.नि.म. दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.) खसरा क्रमांक 2049, 2023/2, 2023/1, 2071/1 कुल रकबा लगभग 0.10 हेक्टेयर भूमि को यह जानते हुये कि उक्त भूमि पर विवाद विद्यमान है उसे पाक साफ बताकर दिनांक 13.03.2023 को उक्त भूमि बयाना राशि ₹10,00,000 (अक्षरी दस लाख रुपये) प्राप्त कर उपरोक्त भूमि को ₹50,00,000 (अक्षरी पचास लाख रुपये) में विक्रय इकरारनामा आवेदक सुनील कुमार सोमन के पक्ष में निष्पादित किया तथा उपरोक्त भूमि का विक्रय इकरारनामा आवेदक के पक्ष में करने के उपरान्त भी भूमि को बंधक रखकर एक्सीस फाईनेन्स लिमिटेड से लगभग ₹450,00,000 (अक्षरी चार करोड़ पचास लाख रुपये) ऋण प्राप्त कर लिया। इस प्रकार प्रस्तावित अभियुक्ता श्रीमती संगीता केतन शाह के द्वारा प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया जाना दर्शित है तथा प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार उपरान्त यह एक उपयुक्त मामला प्रतित हो रहा है जिसमें अन्वेषण हेतु निर्देश जारी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्याय दृष्टांत ललीता कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 SCC 1 में पारित निर्देशानुसार यदि संज्ञेय अपराध की इत्तिला थाना को प्राप्त हो तो उक्त संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जाना आज्ञापक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्याय दृष्टांत साकीरी वासू विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 2 SCC 409 में अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 156 (3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण एवं अन्वेषण का निर्देश देने और समुचित अन्वेषण कराने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। हस्तगत मामले में प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन उपरान्त प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया जाना दर्शित है तथा परिस्थितियाँ उचित जाँच की माँग करती हैं। अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं निष्कर्षों के आलोक में, धारा 156(3) द.प्र.सं. (175 (3) भा.ना.सु.सं.) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय आदेश देता है कि आरक्षी केन्द्र प्रभारी सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.) प्रस्तावित अभियुक्ता श्रीमती संगीता केतन शाह तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवेदक के अभिकथनों एवं संलग्न साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में धारा 406, 420, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता या ऐसी अन्य धाराओं के अंतर्गत जो साक्ष्यों के आधार पर उचित हों, अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण करें एवं अन्वेषण उपरान्त विधिवत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें।उपरोक्तानुसार आवेदन निराकृत। इस आदेश की सत्यप्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय दस्तावेजों के साथ संबंधित आरक्षी केन्द्र को विधिवत भेजी जावें। प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख विधिवत अभिलेखागार भेजा जावें। सही (रवि कुमार महोबिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) सत्यप्रतिलिपि ।(रवि कुमार महोबिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

**13 Action** **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as**
**(**की गयी कार्यवाही**:** चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं**.2.**में उल्लेख धारा के तहत है **|):**

**(1 Registered the case and took up the investigation (**प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया**)**
VIJAY KUMAR YADAV (निरीक्षक) / **Or**

**(2 Directed (Name of I.O.):(**जांच अधिकारी का **Rank**
**No(**सं.**):** **to take up the Investigation (**को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश

**(3Refused investigation due to(**जांच

**or (**के कारण इंकार किया या**)**

**(4 Transferred to P.S.** **District**
**on point of jurisdiction (**को क्षेत्राधिकार के कारण

**F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.**
**(**शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी**,** सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी
**R.O.A.C.(**आर**.**ओ**.**ए**.**

**14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
**(**शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान**):**

Signature/हस्ताक्षर

**Signature of Officer In Charge, Police Station**
**(**थाना प्रभारी के हस्ताक्षर**)**

**15. Date and time of dispatch to the court**

**Name** VIJAY KUMAR YADAV

**Rank** I (Inspector)

**No(**सं.**):**

**Attachment to item 7 of First Information Report** (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद **7** संलग्नक)**:**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )**
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| **S.No.** (क्र.सं.) | **Sex** (लिंग) | **Date/Year of Birth** ( जन्म तिथि / वर्ष) | **Build** (बनावट) | **Height (cms.)** (कद(से.मी)) | **Complexion** (रंग ) | **Identification Mark(s)** (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | महिला | 1981 | | | | |
| 2 | पुरुष | 1976 | | | | |

| **Deformities/ Peculiarities** (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | **Teeth** (दाँत) | **Hair** (बाल) | **Eyes** (आँखें) | **Habit(s)** (आदतें) | **Dress Habit(s)** (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Language /Dialect** (भाषा /बोली) | **Place Of**(का स्थान) | | | | | **Others** (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Burn Mark** (जले हुए का निशान) | **Leucoderma** (धवल रोग ) | **Mole** (मस्सा) | **Scar** (घाव) | **Tattoo** (गूदे हुए का) | |
| **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)